

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 12, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 33-एफ-1-21-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका हरदा, जिला हरदा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया है (2)	संख्या (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	17 लाला लाजपतराय वार्ड 28 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 33 वीर तेजाजी वार्ड 34 वीर दुर्गादास वार्ड 35 वीर सावरकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	16 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 32 शहीद दीप सिंह चौहान वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	09	04 हनुमान वार्ड 06 शहीद भगत सिंह वार्ड 07 डॉ. राधा कृष्णन वार्ड 10 श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड 11 गणेश शंकर विद्यार्थी वार्ड 21 संजय वार्ड 26 देवी अहिल्या बाई वार्ड 29 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 30 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	28 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 33 वीर तेजाजी वार्ड 35 वीर सावरकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	32 शहीद दीप सिंह चौहान वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	04 हनुमान वार्ड 07 डॉ. राधा कृष्णन वार्ड 21 संजय वार्ड 26 देवी अहिल्या बाई वार्ड 29 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
7	महिलाओं के लिए [उक्त सरल क्रमांक (4), (5), (6) के अलावा] आरक्षित कुल वार्ड.	09	03 मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड 05 नरसिंह वार्ड 12 व्ही. व्ही. गिरी वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड 15 आचार्य विनोवा भावे वार्ड 19 महाराणा प्रताप वार्ड 20 स्वामी विवेकानंद वार्ड 24 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 31 डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

अधि. क्र. 34-एफ 1-22-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नगरपालिका परिषद्, पसान, जिला अनूपपुर के वार्डों की संख्या तथा पूर्व

निर्धारित प्रचलित सीमा के अन्तर्गत आंशिक संशोधन करते हुए वार्ड क्रमांक 04 (चार), 05 (पांच), 06 (छः) एवं 07 (सात) की प्रचलित सीमाओं का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:—

अनुसूची

वार्ड का क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1. वार्ड क्रमांक 04 (चार)	जयप्रकाश नारायण वार्ड
2. वार्ड क्रमांक 05 (पांच)	सरोजनी नायडू वार्ड
3. वार्ड क्रमांक 06 (छः)	महात्मा गांधी वार्ड
4. वार्ड क्रमांक 07 (सात)	पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड

Noti. No. 34-F-1-22-2016-XVIII-3.—Notice is hereby given in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Madhya Pradesh Municipal Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government proposes to prescribe partial amendment of the current boundary Ward No. 04, 05, 06 and 07 of Municipal Council Pasan in Anuppur District as per Schedule given below:—

SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of the Ward (2)
1. Ward No. 04	Jai Prakash Narayan Ward
2. Ward No. 05	Sarojani Naidu Ward
3. Ward No. 06	Mahatma Gandhi Ward
4. Ward No. 07	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.